U.P. NURSES AND MIDWIVES COUNCIL

5, Sarvapally, Mall Avenue Road, Lucknow-226 001
Phone : 0522-2238846, 2236600 Fax : 0522-2237800

Ref. No. 10640/16

Date 14/12/16

CERTIFICATE OF CONSENT

This is hereby certified that the application of **T.S. Mishra College of Nursing**, Near Amausi Railway Station, Amausi, Lucknow, U.P. for the starting of **B.Sc. Nursing** (Nursing Programme) 09.06.2016 has been received in this Council.

The issue of certificate of consent alone shall not confer any right on the applicant college to start the **B.Sc. Nursing** (Nursing Programme).

This certificate is valid for a period of one year from the date of issue.

Registrar
U.P. Nurses & Midwives Council
Lucknow

125A

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
फोन : 9151024463, 8400955546
Website-www.upnursescouncil.org   Email-upnursescouncil@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–10550/22   दिनांक 31.10.22

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,
टी0एस0 मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
अमौसी लखनऊ।

विषय–बी.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 सीट से बढ़ाकर 80 सीट (20 सीट वृद्वि) हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–I/200375/2022 File No.-71-4099/70/2021-4-Part(3) दिनॉक 10 अगस्त, 2022 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनॉक 20.08.2022 के आधार पर बैचलर ऑफ साइंस–नर्सिंग (बी0एससी0–नर्सिंग) की 60 सीट से बढ़ाकर 80 सीट (20 सीट वृद्वि) का प्रशिक्षण संचालित किये जाने हेतु अनुमति शासनादेश में वर्णित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त प्रशिक्षण को संचालित करने की अनुमति संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि नर्सिंग कौंसिल को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत भी संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।

अतः वैदिक एण्ड फ्यूचरिस्टिक एजुटेक द्वारा प्रस्तावित टी0एस0 मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अमौसी लखनऊ के प्रशिक्षण केन्द्र में 60 सीट से बढ़ाकर 80 सीट (20 सीट वृद्वि) प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के बी0एससी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अभ्यर्थियों के प्रवेश प्रक्रिया हेतु अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 35,000+18% GST इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

पत्र संख्या–   दिनॉक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. रजिस्ट्रार, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौन्सिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001
फोन : 0522 - 2238646, 2236600, फैक्स : 0522-2237800.

पत्रांक सं0 ....   दिनांक ....

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,
टी0एस0 मिश्रा कालेज ऑफ नर्सिंग,
अमौसी, लखनऊ

विषय–एम.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 20 सीट हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1820/71–4–2020–एन–4/2017 टी0सी0 दिनांक 20 नवम्बर 2020 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण के आधार पर मास्टर ऑफ साइंस इन नर्सिंग (एम0एससी0–नर्सिंग) की 20 सीट का प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जाने हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि नर्सिंग कौंसिल को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत भी संस्थान का निरीक्षण कराया जा सकता है।

अतः वैदिक एण्ड फ्यूचरिस्टिक एजूटेक द्वारा प्रस्तावित टी0एस0 मिश्रा कालेज ऑफ नर्सिंग, अमौसी, लखनऊ के प्रशिक्षण केन्द्र में 20 सीट (मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग–4 सीट, आब्सटेट्रिक एण्ड गाइनकोलाजिकल नर्सिंग–4 सीट, चाइल्ड हेल्थ (पीडियाट्रिक) नर्सिंग–4 सीट, मेन्टल हेल्थ (साइकेट्रिक) नर्सिंग–4 सीट एवं कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग–4 सीट) प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के एम0एससी0–नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अपने संस्थान द्वारा प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ करते हुए श्री अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रति वर्ष सम्बद्धता शुल्क के रूप में रूपया 35,000/– (पैंतीस हजार रूपया) इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।
दिनॉक–21/12/2020

पत्र संख्या– 6502(2)/20

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. कुलपति, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

1258

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ – 226001
फोन : 9151024463, 8400955546
Website-www.upnursescouncil.org Email-upnursescouncil@upsmfac.org

पत्रांक संख्या–10550/22 दिनांक 31.10.22

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,
टी0एस0 मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
अमौसी लखनऊ।

विषय–बी.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 60 सीट से बढ़ाकर 80 सीट (20 सीट वृद्वि) हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–I/200375/2022 File No.-71-4099/70/2021-4-Part(3) दिनॉक 10 अगस्त, 2022 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनॉक 20.08.2022 के आधार पर बैचलर ऑफ साइंस–नर्सिंग (बी0एससी0–नर्सिंग) की 60 सीट से बढ़ाकर 80 सीट (20 सीट वृद्वि) का प्रशिक्षण संचालित किये जाने हेतु अनुमति शासनादेश में वर्णित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त प्रशिक्षण को संचालित करने की अनुमति संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि नर्सिंग कौंसिल को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत भी संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।

अतः वैदिक एण्ड फ्यूचरिस्टिक एजुटेक द्वारा प्रस्तावित टी0एस0 मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अमौसी लखनऊ के प्रशिक्षण केन्द्र में 60 सीट से बढ़ाकर 80 सीट (20 सीट वृद्वि) प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के बी0एससी0 (नर्सिंग) प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अभ्यर्थियों के प्रवेश प्रक्रिया हेतु अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 35,000+18% GST इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

पत्र संख्या– दिनॉक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. रजिस्ट्रार, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

1258

उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौन्सिल

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001
फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 8515/22 दिनांक 01/09/2022

सेवा मे,

प्रधानाचार्य,
टी0एस0 मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग,
अमौसी लखनऊ।

विषय–पोस्ट बेसिक बी.एससी. (नर्सिंग) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 30 सीट हेतु अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–I/194987/2022 File No.-71-4099/1046/2021-4-Part(1)1925/194 दिनॉक 27 जुलाई, 2022 एवं इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के मानकों के अनुरूप उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा कराये गये स्थलीय निरीक्षण दिनॉक 20.08.2022 के आधार पर पोस्ट बेसिक बी0एससी0–नर्सिंग की 30 सीट का प्रशिक्षण संचालित किये जाने हेतु अनुमति शासनादेश में वर्णित शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है। उक्त प्रशिक्षण को संचालित करने की अनुमति संस्था द्वारा निरीक्षक दल को दर्शाये गये संसाधनों तथा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों के आधार पर निरीक्षक दल द्वारा की गई संस्तुति पर दी जा रही है। यदि नर्सिंग कौंसिल को किसी भी समय यह ज्ञात होता है कि आप द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है अथवा मान्यता हेतु छद्म प्रपत्रों, संसाधनों का सहारा लिया गया है तो नियमानुसार मान्यता/सम्बद्वता समाप्त करते हुए आपके विरूद्व यथोचित कार्यवाही की जायेगी। इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के द्वारा धारा 13 एवं 14 के अन्तर्गत भी संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा।

अतः वैदिक एण्ड फ्यूचरिस्टिक एजुटेक द्वारा प्रस्तावित टी0एस0 मिश्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, अमौसी लखनऊ के प्रशिक्षण केन्द्र में 30 सीट प्रतिवर्ष भर्ती क्षमता के पोस्ट बेसिक बी0एससी0–नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र की अनुमति प्रदान की जाती है, के क्रम में अभ्यर्थियों के प्रवेश प्रक्रिया हेतु अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सम्बद्धता संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क रू0 35,000+18% GST इस कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करते रहे, जिससे कि बैच उत्तीर्ण होने के पश्चात् उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल द्वारा पंजीकरण किया जा सके।

भवदीय,

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

पत्र संख्या– दिनॉक–

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद, आठवॉ तल, एनबीसीसी सेन्टर, प्लाट नं. 2, कम्यूनिटी सेन्टर, ओखला फेज–1, नई दिल्ली–110020
2. रजिस्ट्रार, अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।

रजिस्ट्रार,
उ0प्र0 नर्सेज एवं मिडवाइब्ज कौंसिल।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 6949/17 दिनांक 31/7/17

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
टी0एस0 मिश्रा कालेज ऑफ नर्सिंग,
निकट अमौसी रेलवे स्टेशन,
अमौसी, लखनऊ–226008

विषय–टी0एस0 मिश्रा कालेज ऑफ नर्सिंग, निकट अमौसी रेलवे स्टेशन, अमौसी, लखनऊ में सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2935/71–2–16–एन–8/2016 दिनॉक 26 जुलाई, 2016 तथा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या–1-6/02/Jun 2017-INC Dated 23-06-2017 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र में 60 प्रशिक्षुओं को जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। अगले वर्ष नये सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

1. प्रवेश क्षमता 60 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं जी0एन0एम0 प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर होगी, जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (अंग्रेजी विषय अनिवार्य) न्यूनतम 40 % के साथ उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 01 अक्टूबर को 17 से 35 वर्ष होनी चाहिए। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है। इंडियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये, अन्यथा उनकी परीक्षा इस कार्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा।
2. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।
3. समय–समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

.......2

4. प्रवेश हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. जी0एन0एम0 प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का जनरल नर्सिंग एवं मिडवीफरी प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
6. नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग टयूटर्स के नामों की सूची शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
7. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय जनरल नर्सिंग की परीक्षा निर्धारित प्रशिक्षण अवधि पूर्ण होने के पश्चात ही कराई जायेगी।
8. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 4,500/– प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 4,500/– प्रतिमाह, प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में लिया जा सकता है। अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।
9. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्र/छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो सके और इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली को भेजी जा सके।
10. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्रों का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Nursing Teaching Faculty को Enroll कर प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति भेजना सुनिश्चित करेंगे।
11. प्रवेशित छात्र/छात्राओं का आनलाइन इनरोलमेन्ट प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह की 31 तारीख तक अवश्य कर दिया जाये। जिससे प्रशिक्षार्थी को कार्यालय से दिया जाने वाला इन्रोलमेन्ट कार्ड समय से भेजा जा सके।
12. किसी प्रकार की जानकारी के लिये इस कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर देखा जा सकता है। चयन प्रक्रिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती है।
13. आगामी वर्षो में प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क 90,000/– (रू.1,500/– प्रति छात्र की दर से) इस कार्यालय में जमा करना होगा।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी

5, सर्वपल्ली, माल एवेन्यू रोड, लखनऊ - 226001

फोन : 0522 - 2238846, 2236600, फैक्स : 0522-2237800

पत्रांक सं0 ......6350/17 दिनांक 31/7/17

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
टी0एस0 मिश्रा कालेज ऑफ नर्सिंग,
निकट अमौसी रेलवे स्टेशन,
अमौसी, लखनऊ–226008

विषय–टी0एस0 मिश्रा कालेज ऑफ नर्सिंग, निकट अमौसी रेलवे स्टेशन, अमौसी, लखनऊ में हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता के संबंध में।

महोदय,

मुझे सूचित करना है कि उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी के निरीक्षकों की निरीक्षण रिपोर्ट की संस्तुति एवं उ0प्र0 शासन चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–2935/71–2–16–एन–8/2016 दिनॉक 26 जुलाई, 2016 तथा भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली के पत्र संख्या 1-6/02/Jun 2017-INC Dated 23-06-2017 के आधार पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र में 40 प्रशिक्षुओं को हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष प्रवेश हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए मान्यता/सम्बद्धता प्रदान की जाती है। अगले वर्ष नये सत्र में प्रवेश लेने से पूर्व इस कार्यालय की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

1. प्रवेश क्षमता 40 अभ्यर्थी प्रतिवर्ष रखी जायेगी एवं हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की तिथि प्रतिवर्ष 01 अक्टूबर होगी, जैसा कि भारतीय उपचर्या परिषद के नियमों में निर्धारित है। प्रवेश हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण होनी चाहिए एवं आयु प्रवेश वर्ष में 01 अक्टूबर को 17 से 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रशिक्षण की अवधि 02 वर्ष होगी। प्रतिवर्ष एक बैच ही लिया जा सकता है। इंडियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक प्रवेश किसी भी दशा में न लिया जाये, अन्यथा उनकी परीक्षा इस कार्यालय द्वारा कराया जाना संभव नहीं होगा।

2. आपके प्रशिक्षण केन्द्र को उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, राज्य सरकार एवं भारतीय उपचर्या परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रशिक्षण में प्रवेश के संबंध में समय–समय पर जारी किये गये समस्त आदेशों/निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।

3. समय–समय पर आपके प्रशिक्षण केन्द्र का निरीक्षण कराया जायेगा और आपके प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा किसी भी निर्देश/शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में आपके हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र की मान्यता/सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

4. किसी भी दशा में निर्धारित भर्ती क्षमता से अधिक अभ्यर्थी भर्ती नहीं किये जायेंगें।

..........2

5. प्रवेश हेतु समाचार–पत्रों में विज्ञापन जारी करने के पूर्व विज्ञापन के प्रारूप को इस कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्र में प्रकाशित होने के पश्चात समाचार पत्र की प्रति शीघ्र कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
6. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रवेश उ0प्र0 के निवासियों का ही होगा। उ0प्र0 के बाहर के अभ्यर्थियों का हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण में प्रवेश किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।
7. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण केन्द्र में कार्यरत प्रशिक्षित नर्सिंग ट्यूटर्स के नामों की सूची शैक्षिक योग्यता, अनुभव की अवधि तथा प्रत्येक द्वारा पढाये जाने वाले विषयों का उल्लेख सहित प्रशिक्षण के लिए छात्राओं का चयन करने से पूर्व इस कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें।
8. इण्डियन नर्सिंग कौंसिल, नई दिल्ली के पत्र दिनॉक 02 फरवरी, 2012 के क्रम में हेल्थ वर्कर (महिला)/ए0एन0एम0 की प्रशिक्षण अवधि 1½ वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष एवं प्रवेश हेतु शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण निर्धारित की गयी है।
9. हेल्थ वर्कर (महिला) प्रशिक्षण की दो परीक्षायें होंगी प्रथम परीक्षा एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् तथा द्वितीय वर्ष परीक्षा प्रशिक्षण अवधि 02 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् ही कराई जायेगी ।
10. प्रशिक्षण हेतु प्रवेश शुल्क रू0 3,000/– प्रवेश के समय केवल एक बार, प्रशिक्षण शुल्क के रूप में रू0 3,000/– प्रतिमाह, पूरे प्रशिक्षण अवधि (दो वर्ष) तक लिया जा सकता है। अभ्यर्थियों से किसी प्रकार बाण्ड इत्यादि नहीं भरवाया जायेगा।
11. प्रशिक्षण केन्द्र में बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org से Link कराना सुनिश्चित करें, जिससे प्रतिदिन टीचिंग फैकल्टी तथा छात्राओं की उपस्थिति कार्यालय को प्राप्त हो सके और इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली को भेजी जा सके।
12. आपके संस्थान में प्रवेशित छात्राओं का online Enrollment तभी हो सकेगा जब आप कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर उपलब्ध Staff Login Panel पर Nursing Teaching Faculty को Enroll कर प्रतिदिन बायोमेट्रिक उपस्थिति भेजना सुनिश्चित करेंगे।
13. किसी प्रकार की जानकारी के लिये इस कार्यालय की वेबसाइट www.upsmfac.org पर देखा जा सकता है। चयन प्रक्रिया के संबंध में वांछित किसी भी जानकारी हेतु प्रधानाचार्य, स्कूल ऑफ नर्सिंग इस कार्यालय में आवश्यकतानुसार सम्पर्क कर सकते/सकती है।
14. आगामी वर्षो में प्रशिक्षण में प्रवेश के पूर्व प्रतिवर्ष संबद्धता शुल्क 60,000/– (रू.1,500/– प्रति छात्र की दर से) इस कार्यालय में जमा करना होगा।

भवदीय,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी।